

राजस्थान विधान सभा

अष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2012

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री राजपाल सिंह शेखावत/श्री घनश्याम तिवाड़ी/श्री कालीचरण सराफ/श्री अशोक परनामी/श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, जयपुर के पृथ्वीराज नगर के नियमितीकरण करने के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. याचिका का उपस्थापन

श्रीमती संजना आगरी, सदस्य, विधान सभा, सोजत में स्नातकोत्तर कक्षाये खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

4. शासकीय संकल्प

श्री शांती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री, राज्य में विधान परिषद का सृजन किये जाने हेतु निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करेंगे :-

संकल्प

यतः इस सदन का विचार है कि राजस्थान विधान मण्डल में जनता को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए और स्वस्थ एवं सुदृढ जनतांत्रिक परम्पराओं की स्थापना के लिए राज्य में विधान परिषद् का सृजन करना अत्यावश्यक है।

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) के अनुसरण में सदन यह संकल्प पारित करता है कि राजस्थान राज्य में विधान परिषद् का सृजन करने के लिए संसद विधि पारित करे।

RESOLUTION

Whereas, the House is of the view that to provide Extensive representation to the people in the State Legislature and to establish healthy and strong democratic traditions, it is necessary to create Legislative Council in the State.

Therefore, in pursuance of clause (1) of Article 169 of the Constitution of India, the House resolves that a law may be passed by the Parliament to create Legislative Council in the State of Rajasthan.

जारी..2..

5. विधायी कार्य

(अ) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-19)
- "उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता, बोली लगाने वालों के उचित एवं साम्यापूर्ण व्यवहार, प्रतियोगिता में अभिवृद्धि करने, दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ाने और सत्य निष्ठा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्यों सहित लोक उपापन और इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के विनियमन के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(2) पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- पूर्णमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-18)
- "राजस्थान राज्य में पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-15)
- "राजस्थान राज्य में जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(2) संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक, 2012

- संगम. विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-16)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान राज्य में संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

| <u>क्र.सं.</u> | <u>मांग संख्या</u> |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. | 28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम |
| 2. | 41- सामुदायिक विकास |
| 3. | 50- ग्रामीण रोजगार |

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 17 अप्रैल, 2012